



स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की
सिविल लाइन्स योजना संख्या-2 भाग-2 बदायूँ में
द्वितीय चरण के अंतर्गत

नवसृजित आवासीय भूखण्ड प्राप्त करने का
सुनहरा अवसर



ऑनलाईन/ऑफलाइन पंजीकरण अवधि 16.08.2021 से 16.09.2021 तक

रेरा पंजीकरण सं. UPRERAPRJ213784

रेरा सम्बंधित विवरण हेतु वेबसाइट www.up-rra.in देखें।

क्र. सं.	भूखण्डों का साइज	भूखण्डों की संख्या (कुल 300 नग)	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	भूमि दर प्रति वर्ग मीटर (रु.में)	भूमि सहित मानक भूखण्ड का विक्रय मूल्य (रु.में)	पंजीकरण धनराशि (रु.में)	रिमाक
1	5.00X8.00 मी०.	59	40.00	15000	600000	30000	भूमि दर में नियमानुसार फ्री-होल्ड चार्ज, कार्नर एवं अन्य चार्ज अतिरिक्त देय होगा।
2	5.00X10.00 मी०.	20	50.00	15000	750000	37500	
3	6.00X12.00 मी०.	28	72.00	15000	1080000	54000	
4	7.00X15.00 मी०.	05	105.00	15000	1575000	78750	
5	8.00X16.00 मी०.	55	128.00	15000	1920000	96000	
6	9.00X18.00 मी०.	60	162.00	15000	2430000	121500	
7	10.00X20.00 मी०.	08	200.00	15000	3000000	150000	
8	12.50X20.00 मी०.	21	250.00	15000	3750000	187500	
9	15.00X20.00 मी०.	44	300.00	15000	4500000	225000	

पंजीकरण पुस्तिका रु. 1000/- (जीएसटी सहित) भुगतान कर सम्बंधित बैंक की शाखा से प्राप्त की जा सकेगी एवं आवेदन पत्र भरकर (पंजीकरण धनराशि सहित) सम्बंधित बैंक में जमा की जा सकती है।

नियम व शर्तें:- **भूखण्डों का आवंटन लाटरी ड्रा द्वारा**

- पंजीकरण से सम्बंधित विस्तृत जानकारी हेतु परिषद की वेबसाइट www.upavp.in पर उपलब्ध ई-पंजीकरण पुस्तिका देखें।
- समस्त भुगतान परिषद द्वारा अधिकृत बैंक से बैंक ड्राफ्ट / RTGS/NEFT एवं ऑनलाइन के माध्यम से पंजीकरण धनराशि जमा की जा सकती है। बैंक ड्राफ्ट / "यू0पी0ए0वी0पी0 सिविल लाइन्स योजना फेज-2 संख्या-2 भाग-2 बदायूँ कलेक्शन एकाउंट" के नाम देय हो, के पक्ष में होना चाहिए। उक्त धनराशि प्रदेशन पत्र में अधिकृत बैंक शाखा में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
- एक मुश्त भुगतान का विकल्प चयन करने वाले आवेदकों को आवंटन में वरीयता दी जायेगी।
- आवेदन के पश्चात आवंटन पत्र निर्गमन तिथि से 45 दिन में भूखण्ड के मूल्य का पूर्ण भुगतान करने पर 05 प्रतिशत की विशेष छूट अनुमत्य होगी।
- न्यूनतम ब्याज दर में किरतों की सुविधा।
- किसी भी भुगतान में विलम्ब की दशा में अवशेष धनराशि पर दिनांक 01.04.2020 को SBI की प्रभावी ब्याज दर MCLR (7.95%) + 1% SAY 9.00% सामान्य ब्याज दर के साथ 2 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज की दर से ब्याज देय होगा। आवंटनी द्वारा समयानुसार भुगतान न करने पर परिषद नियमानुसार पंजीकरण/आवंटन के निरस्तकरण एवं कटौती की कार्यवाही की जायेगी।
- परिषद विनियमों के प्रविधानों में किसी धारा-उपधारा के रहते हुए भी किन्ही विशेष परिस्थितियों में आवास आयुक्त को अन्यथा निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार होगा। किसी विषय अथवा विवाद पर आवास आयुक्त का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

ऑनलाइन/ऑफलाइन आवेदन हेतु सुविधा प्रदाता बैंक:-

इण्डसण्ड बैंक

इन्दिरा चौक, बदायूँ

सम्पर्क:-

श्री बी.एस.करकी, मो. 7408099444

श्री आयुष सक्सेना, मो. 7355449745

श्री पार्य श्रीवास्तव, मो. 8840552584

'खुशाखबरी'
300 नग
नवसृजित
आवासीय
भूखण्डों का
ऑनलाइन/
ऑफलाइन
पंजीकरण
प्रारम्भ

परियोजना पूर्ण होने
की अवधि 36 माह

अधिक जानकारी हेतु श्री महबूब खान, सम्पत्ति प्रबंधक, बदायूँ मो. 8795810954, इं० नवीन कुमार वर्मा, अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड रूहेलखण्ड-4, बरेली मो. 8795811722, इं० प्रमोद कुमार अधीक्षण अभियन्ता, बरेली जोन/रूहेलखण्ड वृत्त मुरादाबाद मो. 8795810040 से सम्पर्क कर सकते हैं।